भारत सरकार
Government of India
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Ministry of Science and Technology
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
Department of Science and Technology
प्रशासन अनुभाग
Administration II (B) Section
New Mehrauli Road, New Delhi-110 016

सं. 19-1/2010 प्रशासन II (ए) दिनांक : 30.06.2010

सेवा में,

मेसर्स (संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : – पुराने अनुपयोगी वाहनों का विक्रय ।

प्रिय महोदय,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित दो अनुपयोगी वाहनों के "जैसा है जहाँ है" आधार पर विक्रय के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करते हैं ।

वाहन की पंजीकरण संख्या	प्रकार	निर्माण का मॉडल/वर्ष
(i) डी एल 3 सी वी -7549	(एम्बैसडर)	2002 (आर सी गुम)
(ii) एम एच -12 ए एफ -8955	(सिएलो)	2000 (आर सी गुम)

2. उपर्युक्त वाहनों के क्रय के इच्छुक फर्म/व्यक्ति टेक्नोलोजी भवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली -110016 में 06.07.2010 से 09.07.2010 तक किसी भी कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक उनका निरीक्षण कर सकते हैं ।

3. ऊपर सूचीबद्ध वाहनों के विभिन्न प्रकारों और मॉडलों के लिए पृथक रुप से अपने अधिकतम उद्धृत मूल्यों (केवल भारतीय रुपयों में) के साथ मुहरबंद निविदाएं इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएं । प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति (ईएमडी) के रुप में डी डी ओ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में 12,000/- रु. (केवल बारह हजार रुपए) के पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ निविदाओं को अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए ।

4. मुहरबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी को संबोधित निविदा इस विभाग में 12.07.2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए । 12.07.2010 को 3 बजे अथवा इसके पूर्व प्राप्त और 12,000/- रुपए की ई एम डी राशि के साथ प्राप्त निविदाओं को उसी दिन (12.07.2010) को अपराह्न 3.30 बजे खोला जाएगा । निविदाएं प्रवेश द्वार के निकट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलोजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली -110016 के स्वागत कक्ष पर रखे प्रशासन II (ए) अनुभाग की निविदा पेटी में डाली जानी चाहिए । बोली लगाने वाले अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदाएं खोलने के समय निविदा खोलने की प्रक्रिया को देख सकते हैं ।

5. इस पूछताछ के लिए विक्रय इस आमंत्रण के अनुलग्नक I में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों द्वारा संचालित होगा ।

भवदीय,

(राजीव महेन्द्रू)
अवर सचिव
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
दूरभाष : 26590349, 26525607

अनुलग्नक - I

निविदा पूछताछ सं. 19-1/2009 - प्रशा II ए, दिनांक 30.06.2010 के लिए वाहनों के विक्रय हेतु निबंधन एवं शर्ते

इच्छुक पक्ष 12.07.2010 को 3.00 बजे अपराह्न तक अथवा पहले मुहरबन्द लिफाफे में पृथक रूप से प्रत्येक वाहन हेतु अपने उच्चतम मूल्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ईएमडी के लिए डीडी/पे आर्डर/बैंकर्स चैक के साथ कोटेशन तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों वाले अन्दर वाले लिफाफे को समुचित रूप से मुहरबंद किया जाना चाहिए। इस लिफाफे को दूसरे बाह्य लिफाफे में डालना चाहिए और इसे प्रौद्योगिकी भवन, डीएसटी, नई दिल्ली के स्वागत कक्ष में रखे प्रशासन (II) ए की निविदा पेटी में डालें। अन्दर वाले एवं बाह्य दोनों लिफाफों पर बड़े अक्षरों में " वाहनों के विक्रय हेतु कोटेशन " लिखा होना चाहिए।

2. वाहनों का विक्रय "जैसा है जहाँ है" आधार पर होगा और इस विभाग द्वारा कोई गारन्टी अथवा इसका सक्षमता अथवा गुणवत्ता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। श्री बिश्वनाथ साहू, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन।। ए अनुभाग) , नई दिल्ली (दूरभाषः 26590225, 26590575) से सम्पर्क करके 06.07.2010 से 09.07.2010 के मध्य किसी भी कार्य दिवस को 11.30 पूर्वाह्न से 04.30 अपराह्न के बीच वाहनों की दशा को वास्तविक रूप से जांचा जा सकता है।

3. प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग कीमत लगाई जाएगी। एक साथ लगाई गई कीमत के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। पक्ष एक वाहन की कीमत लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि वे ऐसा चाहें।

4. कीमत लगाने वाले पक्ष को अपना पैन कार्ड नम्बर प्रस्तुत करना होगा। पैन कार्ड नम्बर की प्रति के बिना कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. कोटेशन के साथ 12000/- रू. की बयाना राशि साथ लगाई जानी चाहिए। बयाना राशि को डीडीओ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नामे बैंक ड्राफ्ट के जरिए जमा कराया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट के साथ कोटेशन पत्र संलग्न किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए उच्चतम निविदाकार/सफल निविदाकार विहित समय सीमा के भीतर विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल होते है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी निविदाकार द्वारा प्रस्ताव को वापस लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

6. ईएमडी राशि को डीडीओ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के नामे डीडी/पे आर्डर/बैंकर्स चैक के द्वारा भुगतान किया जाए (चैक/नकद द्वारा भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा) । इस विभाग द्वारा ईएमडी राशि के बिना प्राप्त किए गए प्रस्तावों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

7. सफल बोली लगाने वाले को संविदा प्रदान किए जाने के तीन दिनों के भीतर डीडीओ, डीएसटी के नामे डिमांड ड्राफ्ट /पे आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से बोली की कुल राशि को जमा करना होगा। जमा की गई ईएमडी समायोजन योग्य नहीं होगी और इसे पृथक रूप से लौटाया जाएगा।

8. सफल हुए बोली लगाने वाले की ईएमडी राशि विक्रय मूल्य राशि के प्राप्त होने के पश्चात् ही लौटायी जाएगी। विहित समय सीमा में बोली की शर्तों का पालन करने में असफल होने वाले बोली लगाने वालों की जमा बयाना राशि जब्त हो जाएगी। इस विभाग द्वारा इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी राशि को डीएसटी द्वारा स्वीकार की गई विक्रय राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। विक्रय प्रक्रिया के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात् ही सफल बोली लगाने वालों की ईएमडी को वापस लौटाया जाएगा।

9. विक्रय किए गए वाहन की डिलीवरी सफल बोली लगाने वाले द्वारा निवास स्थान के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य (वैयक्तिक मामले में राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र, फर्म आदि के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र) को प्रस्तुत करने के पश्चात ही की जाएगी।

10. विक्रय किए गए वाहन को राशि को जमा कराने के 48 घंटों के भीतर सफल बोली लगाने वाले द्वारा अपने खर्चे पर ले जाया जाएगा। डीएसटी द्वारा किसी प्रकार की सहायता/परिवहन प्रदान नहीं किया जाएगा। डी एस टी परिसर से विक्रय किए गए वाहन को अवकाश, शनिवार और रविवार आदि के दिन बाहर ले जाने की आज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी।

11. सफल बोली लगाने वाला अपने खर्चे पर अतिशीघ्र अपने नाम पर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को हस्तांतरित कराने का भी उत्तरदायी होगा। यह कार्यालय इस संबंध में किसी प्रकार के व्यपगमन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. बोली प्रस्तुत करने के बाद अपने प्रस्ताव को विखंडित करने, वापस लेने अथवा निराकृत करने वाली फर्मों की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में डीएसटी का निर्णय अंतिम होगा।

13. सरकार (डीएसटी) के पास सभी अथवा किसी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

14. असफल निविदाकारों की ईएमडी सफल पक्ष को संविदा प्रदान करने के तीन सप्ताह के भीतर वापिस कर दी जाएगी।

15. बोली लगाने वाले को अपना पूरा नाम/फर्म, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/पिता का नाम, डाक का पूरा पता, टेलीफोन नं. और मोबाइल नं. का उल्लेख करना होगा।

16. विवाद, यदि कोई हो, केवल दिल्ली के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

17. यदि सबसे ऊंची बोली लगाने वाली फर्म बोली का पालन करने में विफल रहती है तो संविदा को रद्द कर दिया जाएगा और इसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में दूसरी

सबसे ऊंची बोली लगाने वाले पात्र निविदाकार (एच - 2 बोली लगाने वाला पक्ष) को बोली को पूरा करने का अवसर दिया जाएगा बशर्ते वह एच -1 पक्ष द्वारा लगाई गई कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। किसी विवाद की स्थिति में डीएसटी का निर्णय अंतिम होगा।

18. निविदा फार्म प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित होना चाहिए। फोटो कापी अथवा हस्ताक्षर नहीं की गई कोटेशन अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए कोटेशन को निरस्त कर दिया जाएगा।

19. टेलीग्राम/टेलेक्स/फैक्स अथवा कुरियर द्वारा भेजे गए कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

20. निविदा करने वाली फर्म किसी प्रकार की असत्य अथवा गलत जानकारी देने तथा उसके परिणामों अथवा नुकसान के लिए उत्तरदायी होगी।

21. कोटेशन अनुलग्नक - II में दिए गए विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

22. निविदा पूछताछ विभाग को पहले से ज्ञात/पहले के पक्षों को डाक द्वारा भेजी जा रही है। तथापि यदि कोई पक्ष इस पूछताछ की निबंधन और शर्तों प्राप्त को पूरा करता है तो उसका प्रस्ताव स्वीकार्य होगा।

23. निविदा दस्तावेज को इस कार्यालय में प्रशासन - II ए अनुभाग से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाइट www.dst.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(राजीव महेन्द्रू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 26590349

<u>अनुलग्नक-II</u>

अनुपयोगी वाहन के विक्रय के लिए दरों को प्रस्तावित करने के लिए प्रपत्र

(12.07.2010 **को अपराह्न** 3.00 **बजे के लिए नियत**)

बयाना राशि	रू. रूपए	
डिमांड ड्राफ्ट का विवरण	सं.	
	दिनांक	
	बैंक	
	शाखा	
बोली लगाने वाले का नाम		
पता*		
टेलीफोन नं.		
पैन नंबर		

*(पता पूरा लिखा होना चाहिए और प्रमाण (राशन कार्ड, पंजीकरण प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि की अभिप्रमाणित प्रतियां) के साथ संपुष्ट होना चाहिए । बोली लगाने वाले को दिए हुए पते पर पत्र प्राप्त करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए)।

मैं/हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित स्टाफ कार/थ्री व्हीलर के लिए अपना/अपने उच्चतम दर प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

क्रम सं.	**पंजीकरण सं.**	**मॉडल**	**प्रकार**	**प्रस्तावित राशि**
1.	डी एल 3 सी वी-7549	एम्बैसडर	जून, 2002	रू. रूपए
2.	एम एच- 12 ए एफ-8955	सिएलो एक्जक्यूटिव	मार्च, 2000	रू. रूपए

2. मैंने/हमने इस प्रस्ताव के निबंधन एवं शर्तो, विशेष रूप से बयाना के संबंध में निबंधन एवं शर्तो को अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और इनका अक्षरशः पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं। इस प्रस्ताव से उत्पन्न होनेवाले किसी विवाद पर अवर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का निर्णय मेरे/हमारे ऊपर बाध्यकारी होगा।

3. यदि दिनांक 30.06.2010 की निविदा पूछताछ पत्र सं. 19-1/2009-प्रशासन-II (ए) में यथानिर्धारित सभी अथवा कोई निबंधन एवं शर्तों का पूर्णतः अथवा अंशतः पालन करने में विफल होते हैं तो मैं/हम बयाना की जब्ती से सहमत हूं/हैं। यदि मैं/हम सफल बोली लगानेवाले के रूप में घोषित

किया जाता हूं/किए जाते हैं तो ये निबंधन एवं शर्तें मेरे/हमारे तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच संविदा के रूप में मान्य होंगे।

4. मैं/हम एतद्द्वारा यह वचन देता हूं/देते हैं कि ये वाहन केवल सदाशय/ कानूनी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे।

स्थान .... **हस्ताक्षर.............**

दिनांक.......... **नाम.................**